

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग-10-

लखनऊ: दिनांक: 05-08-2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-6316/आपदा लिपिक-रि०या०सं०6883, दिनांक 30.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र दिनांक 18.07.2025 का संदर्भ देते हुए अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रीमती आशाकुमारी पत्नी श्री जगप्रसाद की सर्पदंश से मृत्यु होने के उपरान्त रु० 4.00 लाख की अनुग्रह राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में याची / मृतका के पति श्री जगप्रसाद द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-WRIT-C No.-6883 of 2025 (जगप्रसाद बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23-07-2025 को सुनवाई के उपरान्त निम्नवत आदेश पारित किया गया है:-

Learned Additional Chief Standing Counsel for the State says that the claim of the petitioner for grant of compensation under the Government Order dated 08.07.2021 is under process and would be decided soon.

Let the same be decided within a period of six weeks and decision be communicated to the petitioner. If the petitioner is found entitled the compensation the same would be paid within a period of 15 days of the decision otherwise reasons would be communicated to him."

मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 23-07-2025 के अनुपालन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रश्रुत प्रकरण में सर्पदंश से प्रभावित श्री जगप्रसाद पुत्र स्व० रामफली को अनुग्रह राहत प्रदान किये जाने हेतु रु० 4,00,000.00 (रु० चार लाख मात्र) का धनावंटन जनपद बाराबंकी को मद -09 में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रीमती आशाकुमारी पत्नी श्री जगप्रसाद की सर्पदंश से मृत्यु होने के उपरान्त उनके पति/ वारिसान श्री जगप्रसाद पुत्र स्व० रामफली को अनुग्रह राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मद-09 में रु० 4,00,000.00 (रु० चार लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है।

अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1- 11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(10) मद-09 की उप मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि यथा आवश्यकतानुसार विभिन्न उप-मदों में भी व्यय/उपयोग की जा सकेगी। विगत वर्ष की भांति शासन के निर्देश के क्रम में इसका लेखा-जोखा भी उप मदवार रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹ 4,00,000.00 (₹ 4 लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-

352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 05-08-2025 13:02:05
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-851(1)/एक10-2025- तद्विनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-06/08/2025

प्रेषण संख्या:- 851
आवंटन आदेश संख्या:- 001-851

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	400000 25800000	400000 25800000
	योग	वर्तमान प्रणामी	400000 25800000	400000 25800000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख

महायोग- (प्रणामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ अठ्ठावन लाख



(संतोष कुमार)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।